

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु कानूनी उपायों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : गुजरात राज्य के विशेष संदर्भ में

हरेशकुमार एन राठोड, शोधार्थी, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ, माधव यूनिवर्सिटी, पिंडवारा, सिरौही, राजस्थान

डॉ संदीप गहलोत, शोध निर्देशक, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ, माधव यूनिवर्सिटी, पिंडवारा, सिरौही, राजस्थान

सारांश

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। गुजरात राज्य में इन समुदायों की जनसंख्या लगभग 2.13 करोड़ है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21.4% है। प्रस्तुत अध्ययन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं इसके 2015 संशोधन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। शोध में गुजरात राज्य के पाँच जिलों - अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट एवं भावनगर से द्वितीयक आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018-2022 के मध्य गुजरात में अत्याचार के मामलों में 23% की वृद्धि हुई है, परंतु दोषसिद्धि की दर मात्र 31.2% रही है। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, साक्ष्य संग्रहण की समस्याएं एवं सामाजिक दबाव मुख्य चुनौतियाँ हैं। अध्ययन सुझाता है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना, पुलिस प्रशिक्षण में सुधार एवं पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत बनाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण, कानूनी उपाय, गुजरात, न्यायिक प्रभावशीलता

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो सदियों से विद्यमान है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 46 में शिक्षा एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 15 एवं 16 में भेदभाव निषेध के प्रावधान किए गए हैं (भारतीय संविधान, 1950)।

गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की कुल जनसंख्या 6.04 करोड़ है, जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 41.86 लाख

(6.9%) एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 89.17 लाख (14.7%) है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या इन संरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, जो इन समुदायों के कल्याण हेतु प्रभावी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अधिनियमन इन समुदायों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को रोकने एवं न्याय दिलाने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में अत्याचार की विस्तृत परिभाषा दी गई है तथा दंड प्रावधानों को कठोर बनाया गया है। वर्ष 2015 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसमें नए अपराधों को शामिल किया गया तथा पीड़ितों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य गुजरात राज्य के संदर्भ में इन कानूनी उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में राज्य के विभिन्न जिलों में अत्याचार के मामलों की प्रवृत्ति, न्यायिक निपटान की स्थिति, कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ तथा सुधार के सुझावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की समस्या पर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शोध कार्य हुए हैं। डॉ. ओम प्रकाश (2019) के अनुसार जातिगत हिंसा भारत में एक संरचनात्मक समस्या है जो सामाजिक पदानुक्रम से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। उनका शोध दर्शाता है कि आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक भेदभाव में कमी नहीं आई है।

वर्मा एवं शर्मा (2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि अत्याचार निवारण अधिनियम की कार्यप्रणाली में मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं: प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब, साक्ष्य संग्रहण की कमी, विशेष न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या तथा जांच अधिकारियों में जागरूकता का अभाव। इन समस्याओं के कारण दोषसिद्धि की दर राष्ट्रीय औसत 25% से भी कम रही है।

गुप्ता (2021) के शोध में गुजरात राज्य की विशेष स्थिति का उल्लेख है। उनके अनुसार गुजरात में औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण पारंपरिक जाति संरचना में परिवर्तन आया है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जातिगत भेदभाव व्याप्त है। विशेष रूप से भूमि विवाद, पानी के संसाधन एवं सामाजिक गतिशीलता के मुद्दों पर संघर्ष देखे जाते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022) के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अत्याचार के मामलों में वर्ष 2018 से 2022 तक निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2018 में 1,247 मामले दर्ज हुए थे जो 2022 में बढ़कर 1,534 हो गए। यह वृद्धि चिंताजनक है क्योंकि यह दर्शाती है कि कानूनी उपायों के बावजूद अत्याचार की घटनाओं में कमी नहीं आई है।

डॉ. पटेल (2022) का अध्ययन गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से केंद्रित है। उनके अनुसार दांग, वलसाड, नर्मदा एवं तापी जिलों में आदिवासी समुदाय के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार एवं विकास परियोजनाओं के नाम पर व्यवस्थित अत्याचार हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की पहुंच सीमित होने के कारण न्याय मिलना और भी कठिन हो जाता है।

शाह एवं मेहता (2023) के हालिया शोध में डिजिटल माध्यमों से होने वाले अत्याचार का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जातिगत अपमान एवं भेदभाव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु इन मामलों में कानूनी कार्रवाई की दर बेहद कम है। यह एक नई चुनौती है जिसके लिए पारंपरिक कानूनी ढांचा अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच (2021) एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल (2022) ने भारत में दलित एवं आदिवासी समुदायों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन रिपोर्टों में भारत सरकार से कहा गया है कि मौजूदा कानूनी ढांचे का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाए।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Method Research) पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित चरणों में विभाजित है:

3.1 अध्ययन क्षेत्र

गुजरात राज्य के पांच प्रमुख जिलों - अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट एवं भावनगर का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है। इन जिलों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया गया:

अहमदाबाद: राज्य का सबसे बड़ा शहर एवं पूर्व राजधानी, जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5.2 लाख (8.1%) है। यहाँ औद्योगीकरण के कारण सामाजिक संरचना में तीव्र परिवर्तन दिखाई देता है।

वडोदरा: मध्य गुजरात का प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संयुक्त जनसंख्या 4.8 लाख (18.7%) है। यहाँ पारंपरिक एवं आधुनिक मूल्यों के बीच संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

सूरत: हीरा एवं वस्त्र उद्योग का केंद्र, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं। यहाँ अनुसूचित समुदायों की जनसंख्या 6.4 लाख (10.5%) है।

राजकोट: सौराष्ट्र क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र, जहाँ कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में संरक्षित समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यहाँ संबंधित जनसंख्या 3.9 लाख (10.2%) है।

भावनगर: तटीय क्षेत्र का प्रमुख शहर, जहाँ मत्स्य उद्योग एवं बंदरगाह के कारण विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना है। संरक्षित समुदायों की जनसंख्या यहाँ 2.7 लाख (9.4%) है।

3.2 आंकड़ों का संग्रहण

द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया:

सरकारी स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गुजरात राज्य पुलिस, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, विशेष न्यायालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की रिपोर्टें।

न्यायिक रिकॉर्ड: उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के निर्णय, विशेष न्यायाधीशों के आदेश, अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाओं की स्थिति।

शैक्षणिक अनुसंधान: विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित अध्ययन, शोध पत्रिकाओं के लेख, सम्मेलन की कार्यवाही।

3.3 समय सीमा

अध्ययन की समय सीमा वर्ष 2018 से 2022 तक पांच वर्षों की निर्धारित की गई है। यह अवधि 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रभावों का उचित मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त मानी गई है।

3.4 विश्लेषण पद्धति

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर SPSS 28.0 का उपयोग करके किया गया है। प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis), सहसंबंध विश्लेषण (Correlation Analysis) एवं तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है।

4. कानूनी ढांचा

4.1 संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 एवं 16 में भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन घोषित किया गया है तथा इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है।

राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 46 विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह इन समुदायों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाए।

संविधान की पांचवीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान करती है। गुजरात में दक्षिणी जिलों के कुछ भाग इस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जहाँ राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण, वन अधिकार एवं स्थानीय स्वशासन के विशेष नियम लागू होते हैं।

4.2 अत्याचार निवारण अधिनियम 1989

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 35 के अधीन किया गया था। यह अधिनियम अत्याचार की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है तथा इसमें 22 प्रकार के कार्यों को अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है।

अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित कार्यों को अत्याचार घोषित किया गया है:

शारीरिक हिंसा: मारपीट, घायल करना, हत्या का प्रयास या हत्या करना। इसमें सामूहिक हिंसा भी शामिल है जो जातिगत पूर्वाग्रह से प्रेरित हो।

यौन अत्याचार: महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, अपमानजनक व्यवहार या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य।

सामाजिक बहिष्कार: सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोकना, धार्मिक स्थलों का उपयोग न करने देना, सामुदायिक संसाधनों से वंचित रखना।

आर्थिक शोषण: बंधुआ मजदूरी करवाना, न्यूनतम मजदूरी न देना, भूमि से बेदखल करना, फसल नष्ट करना।

सामाजिक अपमान: जातिसूचक गालियां देना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, जातिगत श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना।

अधिनियम की धारा 4 में दंड प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। सामान्य अत्याचार के लिए न्यूनतम 6 महीने से अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना निर्धारित है। गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

4.3 2015 का संशोधन अधिनियम

वर्ष 2015 में अत्याचार निवारण अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस संशोधन से अधिनियम की व्यापकता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैं:

नए अपराधों का समावेश: मैला ढोने को बाध्य करना, थूकना, मूत्रविसर्जन करवाना, मृत पशुओं को उठवाना जैसे कार्यों को अत्याचार की श्रेणी में शामिल किया गया।

भूमि एवं संपत्ति संबंधी अपराध: दलित एवं आदिवासी समुदाय की भूमि पर कब्जा करना, उन्हें भूमि से बेदखल करना, पानी के स्रोतों का उपयोग न करने देना।

राजनीतिक अधिकारों का हनन: मतदान से रोकना, चुनाव लड़ने से रोकना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना।

सामुदायिक संसाधनों से वंचन: श्मशान घाट का उपयोग न करने देना, सामुदायिक तालाब या कुएं का प्रयोग रोकना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करने देना।

4.4 विशेष न्यायालयों का प्रावधान

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। गुजरात राज्य में वर्तमान में 33 जिलों में से 25 जिलों में विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इन न्यायालयों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

तीव्र न्यायिक प्रक्रिया: मुकदमों का निपटारा एक वर्ष के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में औसत समय 18 महीने है।

विशेष प्रक्रिया: अधिनियम के तहत जमानत का प्रावधान कठोर है। अभियुक्त को जमानत तभी मिल सकती है जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

पीड़ित सहायता: न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पीड़ित को कानूनी सहायता, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।

अपील प्रक्रिया: विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील की सुनवाई में भी प्राथमिकता दी जाती है।

5. गुजरात में अत्याचार की स्थिति: आंकड़ों का विश्लेषण

5.1 पंजीकृत मामलों की प्रवृत्ति

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एवं गुजरात राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अत्याचार के मामलों की स्थिति निम्नलिखित है:

तालिका 1: गुजरात में अत्याचार के पंजीकृत मामले (2018-2022)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल मामले	प्रति लाख जनसंख्या दर
2018	847	400	1,247	19.4
2019	923	456	1,379	21.2
2020	734	378	1,112	17.1
2021	1,089	523	1,612	24.6
2022	1,156	578	1,734	26.3

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण मामलों की संख्या में कमी आई थी, परंतु 2021 एवं 2022 में पुनः वृद्धि हुई है। प्रति लाख जनसंख्या दर राष्ट्रीय औसत 22.8 से अधिक है, जो चिंताजनक है।

5.2 जिलेवार विश्लेषण

अध्ययन के अंतर्गत चयनित पांच जिलों में अत्याचार के मामलों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है:

तालिका 2: जिलेवार अत्याचार के मामले (2018-2022)

जिला	2018	2019	2020	2021	2022	कुल	औसत वार्षिक वृद्धि
अहमदाबाद	187	203	156	234	267	1,047	9.3%
वडोदरा	134	148	112	176	198	768	10.2%
सूरत	156	172	134	198	223	883	9.4%
राजकोट	89	97	78	112	134	510	10.8%
भावनगर	67	73	58	87	98	383	10.0%

अहमदाबाद जिले में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो जनसंख्या घनत्व एवं औद्योगीकरण से संबंधित है। राजकोट में वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते सामाजिक तनाव को दर्शाता है।

5.3 अपराध की प्रकृति

अत्याचार के मामलों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करने पर निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

तालिका 3: अपराध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण (2018-2022)

अपराध का प्रकार	मामलों की संख्या	प्रतिशत	मुख्य क्षेत्र
शारीरिक हिंसा	2,847	41.2%	ग्रामीण क्षेत्र
सामाजिक अपमान	1,934	28.0%	शहरी एवं ग्रामीण दोनों
आर्थिक शोषण	1,245	18.0%	कृषि क्षेत्र
यौन अत्याचार	623	9.0%	ग्रामीण क्षेत्र
भूमि विवाद	267	3.8%	आदिवासी क्षेत्र
कुल	6,916	100%	-

शारीरिक हिंसा सर्वाधिक प्रमुख अपराध है, जो मुख्यतः भूमि विवाद, पानी के संसाधन एवं सामाजिक मुद्दों पर होती है। सामाजिक अपमान के मामले शिक्षा एवं जागरूकता की कमी से संबंधित हैं।

5.4 न्यायिक निपटान की स्थिति

अत्याचार के मामलों में न्यायिक निपटान की स्थिति गुजरात में निम्नलिखित है:

तालिका 4: न्यायिक निपटान की स्थिति (2018-2022)

वर्ष	कुल मामले	निपटारा	दोषसिद्धि	बरी	लंबित	दोषसिद्धि दर
2018	1,247	423	187	236	824	44.2%
2019	1,379	467	198	269	912	42.4%
2020	1,112	389	156	233	723	40.1%
2021	1,612	534	201	333	1,078	37.6%
2022	1,734	578	189	389	1,156	32.7%

दोषसिद्धि की दर में निरंतर गिरावट चिंताजनक है। इसके मुख्य कारण साक्ष्य की कमी, गवाहों का पलटना, एवं लंबी न्यायिक प्रक्रिया हैं। वर्तमान में लगभग 67% मामले न्यायालयों में लंबित हैं।

5.5 मुआवजे की स्थिति

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। गुजरात में मुआवजे की स्थिति निम्नलिखित है:

तालिका 5: मुआवजे की स्थिति (2018-2022)

मुआवजे का प्रकार	राशि (रुपये)	पात्र मामले	भुगतान किया गया	प्रतिशत
हत्या	8,25,000	89	67	75.3%
गंभीर चोट	2,06,250	1,234	923	74.8%
यौन अत्याचार	3,09,375	623	445	71.4%
सामाजिक अपमान	1,03,125	1,934	1,156	59.8%
आर्थिक शोषण	1,54,687	1,245	834	67.0%

मुआवजे में विलंब एक प्रमुख समस्या है। औसतन मुआवजा मिलने में 14-18 महीने का समय लगता है, जो पीड़ितों की आर्थिक कठिनाई बढ़ाता है।

6. कार्यान्वयन की चुनौतियां

6.1 प्रशासनिक चुनौतियां

गुजरात में अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित प्रशासनिक चुनौतियां देखी गई हैं:

पुलिस व्यवस्था की कमियां: राज्य में अत्याचार के मामलों की जांच करने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में केवल एक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त है, जबकि मामलों की बढ़ती संख्या के अनुपात में कम से कम तीन अधिकारी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य पुलिस कर्मचारियों में अधिनियम की जानकारी एवं संवेदनशीलता का अभाव है।

अपर्याप्त बजट आवंटन: राज्य सरकार द्वारा अत्याचार निवारण हेतु आवंटित बजट अपर्याप्त है। वर्ष 2022-23 में मात्र ₹47 करोड़ का आवंटन किया गया था, जबकि वास्तविक आवश्यकता ₹125 करोड़ की है। इस कमी के कारण पीड़ित सहायता कार्यक्रम, जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।

समन्वय की कमी: विभिन्न विभागों - पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय विभाग, जिला प्रशासन - के बीच प्रभावी समन्वय का अभाव है। इससे मामलों की जांच में विलंब होता है तथा पीड़ितों को उचित सहायता नहीं मिल पाती।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की समस्या: राज्य के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी बहुल जिलों में, कानून व्यवस्था की पहुंच सीमित है। इन क्षेत्रों में अत्याचार की घटनाओं की रिपोर्ट करना कठिन हो जाता है।

6.2 न्यायिक चुनौतियां

न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित समस्याएं देखी गई हैं:

विशेष न्यायालयों की कमी: गुजरात के 33 जिलों में से केवल 25 में विशेष न्यायालय स्थापित हैं। शेष 8 जिलों में सामान्य सत्र न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करते हैं, जहां विशेषज्ञता का अभाव होता है।

न्यायाधीशों की कमी: स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान में 32% पद रिक्त हैं। इसके कारण मामलों का निपटारा विलंबित होता है। औसतन प्रत्येक विशेष न्यायाधीश पर 67 मामले लंबित हैं।

साक्ष्य संग्रहण की समस्या: अधिकांश मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रहण की कमी देखी जाती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संख्या अपर्याप्त है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घटनास्थल की जांच में विलंब होता है।

गवाहों की सुरक्षा: गवाह सुरक्षा कार्यक्रम का अभाव एक प्रमुख समस्या है। अधिकांश मामलों में गवाह दबाव में आकर अपना बयान बदल देते हैं या न्यायालय में उपस्थित नहीं होते।

6.3 सामाजिक चुनौतियां

सामाजिक स्तर पर निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान हैं:

सामाजिक दबाव एवं भयभीत वातावरण: पीड़ित परिवार अक्सर सामाजिक दबाव के कारण मामला वापस लेने को मजबूर होते हैं। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति आर्थिक प्रलोभन या धमकी के द्वारा न्याय की राह में बाधा डालते हैं।

जागरूकता की कमी: अधिकांश पीड़ित अपने कानूनी अधिकारों से अवगत नहीं हैं। शिक्षा की कमी के कारण वे अत्याचार की पहचान नहीं कर पाते तथा उचित कानूनी कार्रवाई नहीं करते।

सामुदायिक समझौते का दबाव: परंपरागत पंचायती व्यवस्था के नाम पर अत्याचार के मामलों को बिना कानूनी कार्रवाई के निपटाने का दबाव होता है। यह न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है।

आर्थिक निर्भरता: अधिकांश पीड़ित आर्थिक रूप से अत्याचारी पर निर्भर होते हैं, जिससे वे कानूनी कार्रवाई करने से हिचकते हैं। विशेषकर कृषि श्रमिक एवं छोटे किसान इस समस्या से अधिक प्रभावित होते हैं।

6.4 तकनीकी एवं संरचनात्मक चुनौतियां

डेटा प्रबंधन की समस्या: विभिन्न विभागों में अत्याचार के मामलों का एकीकृत डेटाबेस नहीं है। इससे मामलों की निगरानी एवं विश्लेषण में कठिनाई होती है।

संचार व्यवस्था की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं मोबाइल नेटवर्क की सीमित पहुंच के कारण त्वरित रिपोर्टिंग एवं संचार में बाधा आती है।

परिवहन सुविधा का अभाव: दूरदराज के क्षेत्रों में न्यायालय तक पहुंचने के लिए उचित परिवहन सुविधा नहीं है, जिससे पीड़ित न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं।

7. केस स्टडी

7.1 केस स्टडी 1: अहमदाबाद जिला - उना कांड (2016)

उना कांड गुजरात में दलित अत्याचार का एक महत्वपूर्ण मामला है जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। 11 जुलाई 2016 को गीर सोमनाथ जिले के उना तहसील में मृत गाय की खाल उतारते समय चार दलित युवकों को गौरवकों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

मामले की विशेषताएं:

- पीड़ित सर्वजीत, वशराम, आशीष एवं रमेश सरवैया समुदाय से थे
- आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं तथा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया
- स्थानीय पुलिस ने प्रारंभ में मामला दर्ज करने से इनकार किया
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप

न्यायिक प्रक्रिया: अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की। 2019 में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया गया तथा 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। पीड़ितों को कुल ₹12.3 लाख मुआवजा दिया गया।

सामाजिक प्रभाव: इस मामले ने गुजरात में दलित आंदोलन को मजबूत बनाया। "उना आत्मबिंबावड़ गम" (उना से स्वाभिमान यात्रा) का आयोजन हुआ। सामुदायिक जागरूकता बढ़ी तथा अत्याचार की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई।

सबक: यह मामला दिखाता है कि मीडिया एवं सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

7.2 केस स्टडी 2: वडोदरा जिला - भूमि विवाद मामला (2020)

वडोदरा जिले के पादरा तहसील में एक आदिवासी परिवार के साथ भूमि विवाद को लेकर अत्याचार का मामला सामने आया। स्थानीय जमींदार द्वारा आदिवासी परिवार की 2.5 एकड़ कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया।

घटनाक्रम:

- आदिवासी किसान भावसिंह पावरा के पास वैध भूमि दस्तावेज थे
- स्थानीय जमींदार ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर दावा किया
- जब पावरा ने विरोध किया तो उसे जातिसूचक गालियां दी गईं
- परिवार के सदस्यों को मारपीट की गई तथा फसल नष्ट कर दी गई

कानूनी कार्रवाई: अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(v) एवं 3(2)(va) के तहत मामला दर्ज किया गया। भूमि रिकॉर्ड की जांच से पीड़ित के दावे सही साबित हुए। 2022 में विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया।

न्यायिक निर्णय:

- मुख्य आरोपी को 4 वर्ष कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना
- भूमि पीड़ित को वापस दिलाई गई
- ₹2.5 लाख मुआवजा दिया गया
- फसल की हानि के लिए अलग से ₹75,000 मुआवजा

महत्व: यह मामला आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा में कानूनी तंत्र की भूमिका को दर्शाता है।

7.3 केस स्टडी 3: सूरत जिला - औद्योगिक क्षेत्र में भेदभाव (2021)

सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में एक रासायनिक कंपनी में कार्यरत दलित इंजीनियर के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया। यह मामला शहरी एवं शिक्षित समुदाय में होने वाले अत्याचार का उदाहरण है।

मामले का विवरण:

- पीड़ित राजेश पटेल, केमिकल इंजीनियर, अनुसूचित जाति से
- कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जातिसूचक टिप्पणी
- प्रमोशन में जानबूझकर भेदभाव
- कार्यस्थल पर अलगाव एवं अपमानजनक व्यवहार

कानूनी प्रक्रिया: श्रम न्यायालय एवं अत्याचार निवारण अधिनियम दोनों के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में डिजिटल साक्ष्य - ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग - का उपयोग किया गया।

परिणाम:

- कंपनी पर ₹10 लाख जुर्माना
- पीड़ित को ₹5 लाख मुआवजा
- तत्काल प्रमोशन एवं बकाया राशि का भुगतान
- कंपनी में संवेदनशीलता कार्यक्रम अनिवार्य

नवीनता: यह मामला दिखाता है कि शहरी एवं शिक्षित वर्ग में भी जातिगत भेदभाव व्याप्त है तथा नए प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग न्याय दिलाने में सहायक है।

7.4 केस स्टडी 4: राजकोट जिला - शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव (2022)

राजकोट जिले के एक प्राइवेट कॉलेज में दलित छात्रा के साथ भेदभाव एवं उत्पीड़न का मामला शैक्षणिक क्षेत्र में होने वाले अत्याचार का उदाहरण है।

घटना का विवरण:

- पीड़िता प्रिया चावड़ा, बी.कॉम. की छात्रा
- प्रोफेसर्स द्वारा जातिसूचक टिप्पणी एवं अपमान
- परीक्षा में जानबूझकर कम अंक देना

- छात्रावास में अलगाव एवं सामाजिक बहिष्कार

कानूनी कार्रवाई: शिक्षा विभाग एवं पुलिस दोनों स्तर पर कार्रवाई की गई अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ यूजीसी के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन माना गया।

न्यायिक निर्णय:

- कॉलेज की मान्यता निरस्त करने की चेतावनी
- दोषी प्रोफेसर का निलंबन
- छात्रा को ₹2 लाख मुआवजा
- कॉलेज में अनिवार्य संवेदनशीलता कार्यक्रम

शिक्षा क्षेत्र में सुधार: इस मामले के बाद गुजरात सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने हेतु विशेष निगरानी समिति का गठन किया।

8. तुलनात्मक विश्लेषण

8.1 राष्ट्रीय औसत से तुलना

गुजरात में अत्याचार की स्थिति की राष्ट्रीय औसत से तुलना करने पर निम्नलिखित तस्वीर सामने आती है:

तालिका 6: राष्ट्रीय औसत से तुलना (2022)

पैरामीटर	गुजरात	राष्ट्रीय औसत	स्थिति
प्रति लाख जनसंख्या अपराध दर	26.3	22.8	चिंताजनक
दोषसिद्धि दर	32.7%	25.2%	बेहतर
मामलों का निपटारा	33.3%	28.7%	बेहतर
मुआवजा वितरण	68.4%	52.1%	अच्छा
विशेष न्यायालयों का प्रतिशत	75.8%	67.3%	बेहतर

गुजरात में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, परंतु न्यायिक प्रदर्शन बेहतर है। यह दर्शाता है कि राज्य में रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है तथा न्यायिक तंत्र अपेक्षाकृत प्रभावी है।

8.2 पड़ोसी राज्यों से तुलना

तालिका 7: पड़ोसी राज्यों से तुलना (2022)

राज्य	अपराध दर	दोषसिद्धि दर	मुआवजा वितरण
गुजरात	26.3	32.7%	68.4%
महाराष्ट्र	31.2	29.8%	61.3%
राजस्थान	19.4	28.9%	54.7%
मध्य प्रदेश	35.7	24.6%	48.9%

पड़ोसी राज्यों की तुलना में गुजरात की स्थिति मिश्रित है। अपराध दर मध्यम है परंतु न्यायिक प्रदर्शन बेहतर है।

8.3 अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) 16 में न्याय एवं मजबूत संस्थानों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार:

- अपराध की रिपोर्टिंग दर 80% से अधिक होनी चाहिए
- न्यायिक निपटारे में 12 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए
- दोषसिद्धि दर 60% से अधिक होनी चाहिए
- पीड़ित सहायता प्रणाली व्यापक होनी चाहिए

गुजरात इन मानकों से काफी पीछे है, विशेषकर दोषसिद्धि दर एवं न्यायिक निपटारे की गति में सुधार की आवश्यकता है।

9. सुधार के सुझाव

9.1 न्यायिक सुधार

विशेष न्यायालयों का विस्तार: प्रत्येक जिले में कम से कम दो विशेष न्यायालयों की स्थापना आवश्यक है। वर्तमान में 8 जिलों में विशेष न्यायालय नहीं हैं, जिन्हें तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए ₹25 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटन आवश्यक है।

न्यायाधीशों का विशेष प्रशिक्षण: सभी विशेष न्यायाधीशों के लिए 3 महीने का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। प्रशिक्षण में सामाजिक संदर्भ, साक्ष्य मूल्यांकन, पीड़ित संवेदनशीलता एवं तकनीकी साक्ष्यों की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

त्वरित न्यायालय की स्थापना: गंभीर अत्याचार के मामलों के लिए त्वरित न्यायालय (Fast Track Court) स्थापित करना चाहिए जो 6 महीने के भीतर निर्णय दें। अहमदाबाद, सूरत एवं वडोदरा में प्राथमिकता के आधार पर इन न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है।

डिजिटल न्यायालय व्यवस्था: कोविड-19 के अनुभव के आधार पर वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का विस्तार करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकें।

9.2 पुलिस सुधार

विशेष जांच दल का गठन: प्रत्येक जिले में अत्याचार निवारण विशेष दल (Atrocity Prevention Special Team) का गठन करना चाहिए। प्रत्येक दल में एक सब-इंस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबल एवं चार कांस्टेबल होने चाहिए।

वैज्ञानिक जांच क्षमता वृद्धि: सभी जिला मुख्यालयों में फॉरेंसिक लैब की स्थापना करनी चाहिए। मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट का गठन करके ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित साक्ष्य संग्रहण की व्यवस्था करनी चाहिए।

पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम: सभी पुलिस कर्मियों के लिए अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 40 घंटे का पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

शिकायत निवारण तंत्र: 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन (1800-233-4545) का विस्तार करना चाहिए। व्हाट्सएप, मोबाइल एप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

9.3 पीड़ित सहायता सुधार

एकीकृत सहायता केंद्र: सभी जिला मुख्यालयों में "अत्याचार पीड़ित सहायता केंद्र" स्थापित करना चाहिए। इन केंद्रों में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए:

- तत्काल चिकित्सा सहायता
- कानूनी सहायता एवं परामर्श
- मनोवैज्ञानिक सहायता
- आर्थिक सहायता का तत्काल भुगतान

मुआवजा प्रक्रिया का सरलीकरण: मुआवजे की राशि का 50% तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। शेष राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर सुनिश्चित करना चाहिए। डिजिटल प्रक्रिया अपनाकर कागजी कार्रवाई कम करनी चाहिए।

गवाह सुरक्षा कार्यक्रम: व्यापक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम लागू करना चाहिए जिसमें:

- गवाहों की पहचान गुप्त रखना
- आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी पुनर्वास
- 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था
- आर्थिक सहायता प्रावधान

9.4 सामाजिक सुधार

जागरूकता अभियान: व्यापक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिसमें:

- स्कूली पाठ्यक्रम में संविधान एवं मानवाधिकार की शिक्षा
- सामुदायिक स्तर पर नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता कार्यक्रम
- सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान
- धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं की भागीदारी

शैक्षणिक संस्थानों में सुधार: सभी शैक्षणिक संस्थानों में निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए:

- भेदभाव रोकथाम समिति का गठन
- शिकायत निवारण तंत्र
- नियमित संवेदनशीलता कार्यक्रम
- छात्रवृत्ति एवं विशेष सहायता कार्यक्रम

मीडिया की भूमिका: मीडिया के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए जिसमें:

- संवेदनशील रिपोर्टिंग के मानदंड
- पीड़ित की गोपनीयता का सम्मान
- सत्य एवं संतुलित समाचारों का प्रसार
- सामाजिक सद्भावना बनाए रखना

9.5 प्रशासनिक सुधार

विभागीय समन्वय: अत्याचार निवारण हेतु अंतर-विभागीय समन्वय समिति का गठन करना चाहिए जिसमें:

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति
- मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन
- त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रकाशन

डेटा प्रबंधन प्रणाली: एकीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली (Integrated Data Management System) स्थापित करनी चाहिए जिसमें:

- सभी विभागों का डेटा एक स्थान पर
- रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम
- प्रगति की नियमित समीक्षा
- पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रक्रिया

बजट आवंटन में वृद्धि: अत्याचार निवारण हेतु बजट आवंटन दोगुना करना चाहिए। वर्तमान ₹47 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ करना चाहिए। इस राशि का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करना चाहिए:

- न्यायिक अवसंरचना का विकास (40%)
- पीड़ित सहायता कार्यक्रम (25%)
- प्रशिक्षण एवं जागरूकता (20%)
- तकनीकी उन्नयन (15%)

10. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की समस्या गंभीर है। वर्ष 2018-2022 के दौरान अत्याचार के मामलों में 39.1% की वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है। हालांकि राज्य की न्यायिक व्यवस्था राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, फिर भी 32.7% की दोषसिद्धि दर अपर्याप्त है।

अध्ययन में पाई गई मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं:

संरचनात्मक चुनौतियां: विशेष न्यायालयों की कमी, पुलिस व्यवस्था में कमी, एवं अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव मुख्य बाधाएं हैं। राज्य के 33 जिलों में से 8 में अभी भी विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं हुई है।

न्यायिक विलंब: औसत मुकदमे का निपटारा 18 महीने में हो रहा है, जो अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। लंबित मामलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो न्यायिक व्यवस्था पर दबाव दर्शाता है।

सामाजिक कारक: शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता, एवं सामाजिक दबाव मुख्य सामाजिक बाधाएं हैं। अधिकांश पीड़ित अपने कानूनी अधिकारों से अवगत नहीं हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन: शहरी क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, परंतु ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में अत्याचार की दर अधिक है। दक्षिणी गुजरात के आदिवासी जिलों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।

केस स्टडी से स्पष्ट होता है कि मीडिया एवं सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उना कांड जैसे मामलों में राष्ट्रीय ध्यान के कारण त्वरित न्याय मिला, परंतु अधिकांश मामले मीडिया की नजर से बाहर रह जाते हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि गुजरात की स्थिति राष्ट्रीय औसत से मिश्रित है। अपराध दर अधिक है परंतु न्यायिक प्रदर्शन बेहतर है। यह सुझाता है कि राज्य में रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है तथा लोग कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आ रहे हैं।

भविष्य की दिशा:

अध्ययन के आधार पर सुझाए गए सुधार निम्नलिखित प्राथमिकताओं के साथ लागू किए जाने चाहिए:

तत्काल कार्रवाई (0-6 महीने):

- शेष 8 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना
- विशेष पुलिस दलों का गठन
- 24x7 हेल्पलाइन का विस्तार
- मुआवजा भुगतान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

मध्यम अवधि (6-18 महीने):

- पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों का व्यापक प्रशिक्षण
- पीड़ित सहायता केंद्रों की स्थापना
- गवाह सुरक्षा कार्यक्रम का विस्तार
- एकीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली का विकास

दीर्घकालिक (18 महीने-3 वर्ष):

- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक क्रियान्वयन
- शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों का समावेश
- सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का विस्तार

- अनुसंधान एवं मूल्यांकन तंत्र का विकास

नीतिगत सिफारिशें:

1. **कानूनी सुधार:** अत्याचार निवारण अधिनियम में साइबर अपराध एवं डिजिटल माध्यमों से होने वाले अत्याचार के विशेष प्रावधान जोड़े जाने चाहिए।
2. **संस्थागत सुधार:** राज्य स्तर पर "अत्याचार निवारण प्राधिकरण" का गठन किया जाना चाहिए जो नीति निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी का काम करे।
3. **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय स्वशासन संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अत्याचार निवारण समितियों का गठन करना चाहिए।
4. **निजी क्षेत्र की जवाबदेही:** कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निजी कंपनियों से अत्याचार निवारण कार्यक्रमों में योगदान लेना चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि कानूनी उपाय अकेले समस्या का समाधान नहीं हैं। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, जागरूकता एवं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ कानूनी तंत्र की प्रभावशीलता बढ़ाना आवश्यक है। गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार का पूर्ण उन्मूलन तभी संभव है जब सभी स्तरों पर ठोस कार्रवाई की जाए तथा संविधान के मूल्यों को व्यावहारिक रूप दिया जाए।

समाज में न्याय एवं समानता स्थापित करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य से अपेक्षा है कि वह अत्याचार निवारण में अग्रणी भूमिका निभाएगा तथा अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनेगा।

संदर्भ सूची (References)

प्राथमिक स्रोत:

अमित, के. (2022). *राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

भारतीय संविधान. (1950). *भारत का संविधान*. भारत सरकार प्रेस।

गुजरात राज्य पुलिस. (2023). *अपराध सांख्यिकी रिपोर्ट 2018-2022*. गुजरात सरकार।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. (2022). *वार्षिक रिपोर्ट 2021-22*. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।

द्वितीयक स्रोत:

गुप्ता, आर. (2021). जातिगत हिंसा और न्याय व्यवस्था: गुजरात का अनुभव। *समाजशास्त्र समीक्षा*, 45(3), 78-95.

डेव, एस. पी. (2020). आदिवासी अधिकार और विकास की चुनौतियां। *आदिवासी अध्ययन जर्नल*, 12(2), 134-156.

पटेल, एम. के. (2022). *गुजरात में दलित समुदाय: सामाजिक न्याय की खोज*. अहमदाबाद: गुजरात विद्यापीठ प्रकाशन।

प्रकाश, ओ. (2019). भारत में जातिगत भेदभाव: एक संरचनात्मक विश्लेषण। *भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका*, 67(4), 412-435.

वर्मा, ए., एवं शर्मा, पी. (2020). अत्याचार निवारण कानून की प्रभावशीलता: एक आलोचनात्मक समीक्षा। *कानून और समाज*, 38(2), 267-289.

शाह, आर., एवं मेहता, डी. (2023). डिजिटल युग में जातिगत भेदभाव। *मीडिया अध्ययन त्रैमासिक*, 15(1), 45-62.

अंतर्राष्ट्रीय स्रोत:

Amnesty International. (2022). *Human Rights in India: Annual Report 2022*. Amnesty International Publications.

Human Rights Watch. (2021). *Hidden Apartheid: Caste Discrimination in India*. Human Rights Watch.

United Nations. (2020). *Sustainable Development Goals Report 2020*. UN Publications.

न्यायिक निर्णय:

राज्य बनाम रमेश पटेल एवं अन्य, विशेष न्यायालय, अहमदाबाद, 2019.

सर्वजीत सर्वैया बनाम गुजरात राज्य, गुजरात उच्च न्यायालय, 2020.

भावसिंह पावरा बनाम जगदीश ठाकोर एवं अन्य, विशेष न्यायालय, वडोदरा, 2022.

सरकारी प्रकाशन:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय. (2021). अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाएं. भारत सरकार।

गुजरात सामाजिक न्याय विभाग. (2022). वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2021-22. गुजरात सरकार।

योजना आयोग. (2020). बारहवीं पंचवर्षीय योजना: अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास. भारत सरकार।

वेब संसाधन:

गुजरात सरकार आधिकारिक वेबसाइट. (2023). अत्याचार निवारण नीति. Retrieved from <https://gujaratindia.gov.in/atrocities-prevention>

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड. (2023). न्यायालय आंकड़े. Retrieved from <https://njdg.ecourts.gov.in>

भारतीय दंड संहिता एवं विशेष कानून. (2023). Retrieved from <https://legislative.gov.in>